



दिनांक

संस्थापक - स्व. श्री रामचंद्र गुप्ता
www.dainikchintak.com
facebook.com/dainikchintak.com

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक

E-mail
dainikchintak@yahoo.com
dainikchintak@gmail.com

स्थापना वर्ष : 1965

वर्ष 56 - अंक - 56 R.N.I. No 63636/1995

दुर्ग शनिवार 8 जनवरी 2022

पं. क्र. छ. ग. दुर्ग / 07/18-20

पृष्ठ-8 मूल्य-2.00 रुपये

खतरनाक होता जा रही कोरोना की तीसरी लहर एक दिन में 1.40 लाख कोरोना के नए मामले

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में तीसरी लहरी की स्थिति खतरनाक स्वरूप में तब्दील होती दिखाई दे रही है। एक दिन में 1 लाख 40 हजार नए मामले समने आए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। वर्ती दिल्ली में भी लगातार बढ़ रही संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 55 घंटे का कफ्टू लगा दिया गया है।

देश में कोरोना वायरस के केसों में बेहद तेजी के साथ इजावा हो रहा है। एक दिन में 24 घंटे में 1 लाख 40 हजार से ज्यादा नए केसों का आंकड़ा सामने आया है। 7 महीनों के बाद लगातार दूसरे दिन नए केस 1 लाख से ज्यादा मिले हैं। शुक्रवार देर रात 1,41,525 नए केस मिले थे, जबकि दो छोटे राज्यों का डेटा आना बाकी था। इससे पहले शुक्रवार को 1 लाख 7 हजार नए केस दर्ज किए गए थे। 28 दिसंबर के बाद से केसों में इजावा जारी है। इन 11 दिनों में हर दिन 20 फीसदी ज्यादा नए केस देखने की मिले हैं। यही नहीं इनमें से 4 दिन ऐसे थे, जब कोरोना के नए केसों की ग्रोथ 40 पर्सेंट से ज्यादा की रही। इसके अलावा दो दिन ऐसे भी रहे हैं, जब नए केसों का आंकड़ा बीते कल के मुकाबले 55 फीसदी तक ज्यादा रहे।

हालांकि राहत की बात यह है कि नए केसों में इजावे की तुलना में भारी का आंकड़ा काफी कम है। शुक्रवार को देश भर में 129 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले कुछ दिनों को जोड़कर 283 देखा गया है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 40,925 नए केस मिले हैं। यह आंकड़ा बीते 238 दिनों में सबसे ज्यादा है। साक है कि कोरोना की दूसरी लहर के पीक के लेवल तक नए केसों का आंकड़ा अब पहुंचने लगा है।

मुंबई में 20,971 नए केस एक



तीसरे डोज के लिए रजिस्ट्रेशन आज से

10 जनवरी से लगाने वाले तीसरे या प्रिकॉशन डोज के लिए प्रिलिजिबल लोग शनिवार शाम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आप लाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। देश में प्रिकॉशन डोज लीन प्रॉविन्चियरी गृप- ३ लेवल वर्कर्स, फ्रॉलाइन वर्कर्स और कोमर्सिलिंग्टी (कई बीमारियों से ग्रसित) वाले 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर 25 दिसंबर को ऐलान किया था। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, प्रिकॉशन डोज कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने की तारीख से नौ महीने (39 हफ्ते) बाद ही लिया जा सकता है।

वैक्सीनेशन के बाद पैरासिटामॉल नहीं देने की वेतावनी
 देशभर में 15-18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन थर्मल बूंदा है, जिन्हे कौपीनियन की खुलाके दी जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को पैरासिटामॉल लेने की सलाह दी जा रही है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बैयोटेक ने साफ किया है कि, वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों को पैरासिटामॉल या ऐन किलर लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने ये जानकारी टीवी के जरूर दी है।

पुलिस अकादमी परिसर में कोरोना विस्फोट



रायपुर (चिन्तक)। चंद्रखुरी रिश्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी परिसर में कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां के 6 से अधिक रहवासी नेताजी पॉलिटिक वाले जारी हैं। इनमें उम्र 30 से 34 साल के बीच है। शुक्रवार को ही अकादमी में 10वें और 11वें बैच का पासिंग आउट परेड हुई थी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री तापद्वय चहलिया सहित वरिष्ठ प्रशासकों के संकरण में शामिल थे। व्यास्थ्य विभाग के मुख्यांक शुक्रवार को प्रदेश में 44 हजार 773 नमूनों की जांच हुई। इस दौरान 2 हजार 828 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस मान से प्रदेश की संक्रमण दर खतरे का नियन्त्रण को पार कर 6.32% तक पहुंच गई है। सबसे अधिक 899 केस अकेले रायपुर के हैं। इनमें 72 की उम्र 1 साल से 18 साल के बीच है। रायपुर में चंद्रखुरी पुलिस अकादमी के अलावा सी आईएसएफ के माना रिश्त परिसर, पुलिस मुख्यालय, रायपुर एम्स और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिट में भी कई सक्रियों का पता लगा है। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। एक महिना प्रशासनिक अधिकारी की भी संक्रमण की चेपट में आने की खबर है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रायपुर शहर के हर हिस्से में कोरोना के मरीज मिले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने 45 इमारतों को कंटेनमेंट जॉन बना दिया है।

ही दिन में मिले हैं, जो कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर में पश्चिम बंगाल

जैसे राज्य में भी बड़ी संख्या में कोरोना केस मिल रहे हैं, जहां दूसरी लहर में कम मामले थे। बैंकिंग दिनों से नए केसों के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे

नंबर पर बना हुआ है। शुक्रवार को बगाल में 18,213 नए केस मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली में 17,335 नए मामले पाए गए हैं।

डंके की चोट पर प्रशासन की नाक के नीचे अवैध प्लाटिंग

मनोज राजपूत ले आउट प्रा.लि. पर शासन व प्रशासन मेहरबान बगर ले आउट एप्युव के बिक रहा है प्लाट

चिन्तक दूर

www.dainikchintak.com

टोलप्लाजा के पास बाईपास रोड में मनोज राजपूत ले आउट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डंके की चोट पर प्रशासन के नाक के नीचे 125 से 130 एकड़ क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। अवैध प्लाटिंग का यह कारोबार इतना व्यापक है कि इससे राज्य शासन को राजस्व के रूप में कोडों का नुकसान हो रहा है और अवैध प्लाटिंग का कर्ताधारी शासन व प्रशासन के नियम कानून की से आम धर्जियां उड़ा रहा है। असर्व व हैरत की बात है कि इस मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है।

उक्ताशय के संदर्भ में मिली शिकायत में कहा गया है कि टोलप्लाजा के पास बाईपास रोड में लगभग 125 से 130 एकड़ क्षेत्र में महानगर की तर्ज पर एक आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है। लेकिन वह कॉलोनी प्रशासन के रिकार्ड में अधिकृत नहीं है। मनोज राजपूत ले आउट प्राइवेट लिमिटेड ने 125 से 130 एकड़ के पूरे क्षेत्र को बाँड़ खीलाल से घेर कर भीतर आलीशान सड़कों का जाल बिछा दिया है। विद्युत पोल लगाकर लाइटें लगा दी है और प्लाट को कटिंग करके इस तरह रखा है जैसे तरहीर में सजाकर रखा गया स्वादिन व याकेदार च्यूजन हो। आम लोग इस तुलावने माहोल का शिकायर बनकर प्लाट तो खीरद रहे हैं लेकिन इसके बाद भविष्य में होने वाली परेशानियों व तकलीफों से बाकिफ नहीं है।



नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से नहीं ली गई है अनुमति

शिकायत में लिखा है कि मनोज ले आउट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 125 से 130 एकड़ के क्षेत्र में लाइटिंग के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन प्लानिंग) से कोई अनुमति नहीं ली गई है। न ही इसका कोई तायारकरण हुआ है। परिणाम स्वरूप यीथै तौर पर जनता से धोखाधड़ी की जा रही है।

नगर निगम से अनुमति लिए बगैर बन रहे हैं मकान

शिकायत में कहा गया है कि मनोज ले आउट प्राइवेट लिमिटेड के परिसर के भीतर लगभग एक दर्जन मकानों का निर्माण भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी के टैक्यालक मनोज राजपूत ने अपने पर अपार्किंग का भी निर्माण कर दिया है लेकिन इन सभी निर्माण कारों की नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है। नगर निगम द्वारा भी इस मामले में किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करना समझा से पाए है।

नहीं लिया कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेटा में भी नहीं कराया रजिस्ट्रेशन

शिकायत में आगे बताया गया है कि मनोज ले आउट प्राइवेट लिमिटेड ने कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। यही नहीं अपील तक रेटा में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। शासन व प्रशासन को धूता बताकर रिप्रो नहीं किया है। इसके अलावा दिल्ली की अपील पर अब प्रधानमंत्री खुराने में नहीं के बखल प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है।

अंतर नहीं है। दिग्निय सिंह का



हिटलर और नरेंद्र मोदी में कोई

अंतर नहीं